



Real Estate
Regulatory Authority
Madhya Pradesh

भू-संपदा
विनियामक प्राधिकरण
मध्य प्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556760

Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2022/II-P/F-05/F-132/218

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी, 2023

प्रति,

श्री चारभुजाजी इंफ्रास्ट्रक्चर,
सम्प्रवर्तक,
882, हरि फाटक, महु
इंदौर (मध्य प्रदेश)

विषय: परियोजना- रामानंदपुरम, धार (P-DHM-21-2980) के संबंध में।
संदर्भ: आपका पत्र दिनांक 12-01-2023

- 0 -

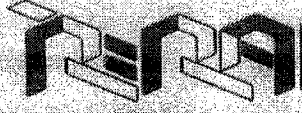
कृपया संदर्भित आपके आवेदन का स्मरण करें। पूर्व में जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए परियोजना- रामानंदपुरम, धार (P-DHM-21-2980) हेतु संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, जो संलग्न है। निरस्त किए गए प्रमाण पत्र के साथ भेजे गए प्राधिकरण आदेश में उल्लेखित शर्तें यथावत रहेगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।


(निरज दुबे)
सचिव

मं०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण



म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

रेरा भवन, अरिरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556340, 2556760

Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id:- Secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2021/P-R/A-05/F-132/965

भोपाल, दिनांक 8/11/21

प्रति,

श्री योगेश गर्ग,
सम्प्रवर्तक, रामानंद पुरम,
2485, गोकुल गंज, महु,

विषय- परियोजना- रामानंद पुरम, धार (प्रोजेक्ट क्र.-166119653263) के संबंध में।
संदर्भ- परियोजना में सुनवाई दिनांक 29-10-2021

-0-

कृपया उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 29-10-2021 प्राधिकरण द्वारा की गई सुनवाई का स्मरण करे, जिसमें कि परियोजना रामानंद पुरम, धार सशर्त मान्य किया गया है। परियोजना को पंजीयन क्र.- P-DHM-21-2980 आवंटित किया गया है। **परियोजना प्रमाण पत्र संलग्न है।**

प्राधिकरण के आदेशानुसार मुझे यह सूचित करने के निर्देश है कि उक्त पंजीयन भू-सम्पदा(विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11 एवं भू-सम्पदा(विनियमन एवं विकास) नियम 2017 के नियम 9, 14, 15 एवं 16 उल्लेखित प्रावधानों के अतिरिक्त निम्न शर्त के अध्वधीन मान्य किया गया है :-

" 1. संप्रवर्तक अधिनियम की धारा 4(2)(ठ)(ई) के अनुसार आवंटितियों से इस भू-संपदा परियोजना के लिए समय-समय पर वसूल की गई रकमों का 70 प्रतिशत निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिए किसी अनुसूचित बैंक में पृथक खाता खोलेगा और उस खाते में जमा रकम सिर्फ इस परियोजना के प्रयोजन के लिए ही उपयोग कर सकेगा। संप्रवर्तक इस प्रकार खाता खोलकर जानकारी प्राधिकरण को 15 दिवस में उपलब्ध करायेगा।

2. आवेदक फर्म अपने समस्त भागीदारों का शपथ पत्र जिसमें अनुबंध अधिनियम की धारा 42(बी) के तहत रेरा में पंजीकृत परियोजना के पूर्ण होने तक कम्पनी के

निरंतर

// 2 //

विघटन नहीं किए जाने के साथ-साथ वे परियोजना एवं आवंटितियों के प्रति संयुक्तः एवं पृथक्: जवाबदेह होंगे का उल्लेख हो, प्राधिकरण को 15 दिवस में उपलब्ध करायेगा "

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।


(निरज दुबे)
सचिव

म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण



प्ररूप - ग, नियम 6-(1)

परियोजना का पंजीयन प्रमाण पत्र

संशोधित

यह पंजीयन अधिनियम की धारा -5 के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजना के लिये दिया जा रहा है

पंजीयन क्रमांक : **P-DHM-21-2980**

परियोजना का नाम : **रामानंदपुरम्, धामनौद-धार**

परियोजना का विवरण पता सहित :

1. व्यक्ति के मामले में: श्री/श्रीमती पुत्र श्री/श्रीमती
..... तहसील जिला राज्य

अथवा

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी के मामले में: **श्री चारभुजा जी इंफ्रास्ट्रक्चर, मह-इंदौर**
फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी, इसका पंजीकृत कार्यालय/व्यापार का मुख्य स्थान **882, हरीफाटक-मह**

इन्दौर-म.प्र.

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है:

- संप्रवर्तक आवंटितियों के साथ विक्रय अनुबंध करेगा, जैसा कि मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के अनुलग्नक-A में प्रविहित किया गया है।
- संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-17 के अनुसार आवंटितगण या उनके संगम के पक्ष में, जैसा भी मामला हो, प्रकोष्ठ या परियोजना के सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित अनुपातिक हक सहित हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा और इसका पंजीकरण करायेगा।
- संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-4 उपधारा-(2) खण्ड (I) उपखण्ड (D) के प्रावधान अनुसार आवंटितगण से वसूली गई रकमों का 70 प्रतिशत, केवल निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये, एक अनुसूचित बैंक में बनाये रखे जाने वाले पृथक खाते में जमा करेगा।
- पंजीयन दिनांक **01-11-2021** से प्रारंभ होकर दिनांक **30-09-2022** तक की अवधि के लिये विधिमान्य रहेगा, जब तक कि इसे भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-7 और मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम-7 के अनुसार नवीकृत न कर दिया जावे।
- संप्रवर्तक अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।
- संप्रवर्तक, जिस क्षेत्र में परियोजना का विकास किया जा रहा है वहां की अन्य किसी विधि के तत्समय प्रभावी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

3. यदि संप्रवर्तक ऊपर उल्लेखित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण संप्रवर्तक के विरुद्ध अधिनियम, नियमों के प्रावधानों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, जिसमें उसे प्रदान किये गये पंजीयन का प्रतिसंहरण भी सम्मिलित किया जा सकता है।

4. उक्त परियोजना प्रकरण भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा 9,11,13,14,15 एवं 16 में उल्लिखित प्रावधानों के अध्वधीन मान्य किया जाता है।

दिनांक : **17-01-2023**

स्थान : भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण